रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2018/माघ 5, 1939
No. 49] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2018/MAGHA 5, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 94(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-1 में, क्रम संख्या 105 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"106. पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं से संबंधित निर्माण एवं विध्वंस क्रियाकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों का आज्ञापक कार्यान्वयन :

(i) पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा वाली कोई भी भवन अथवा अवसंरचना परियोजना धूल उपशमन उपायों सहित अनुमोदित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के बिना कार्यान्वित नहीं की जाएगी ।

(ii) निर्माण स्थलों पर या वहां तक जाने वाली सड़कें खड़ंजा और ब्लैकटॉप्ड (अर्थात् मेटेलिक सड़कें) होनी चाहिए।

(iii) पर्याप्त धूल उपशमन उपायों के बिना मिट्टी की खुदाई नहीं की जाएगी।

(iv) कोई भी मिट्टी या रेत या निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट या धूल वाली कोई अन्य निर्माण सामग्री बिना ढके नहीं छोड़ी जाएगी।

(v) समुचित ऊंचाई अर्थात् भवन की ऊंचाई की 1/3 और अधिकतम 10 मीटर तक के विंड-ब्रेकर की व्यवस्था की जाएगी।

(vi) जल छिड़काव प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी।

(vii) निर्माण स्थल पर जनता को आसानी से दिखाई देने के लिए धूल उपशमन उपायों का स्पष्ट तौर पर प्रदर्शन किया जाएगा।

107. सभी निर्माण एवं विध्वंस क्रियाकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों का अनिवार्य कार्यान्वयन :

(i) खुले क्षेत्र में भवन सामग्रियों की घिसाई तथा कटाई को प्रतिबंधित किया जाएगा।

(ii) निर्माण सामग्री तथा अपशिष्ट का भंडारण केवल निर्धारित क्षेत्र के अंदर किया जाएगा और निर्माण सामग्री तथा अपशिष्ट को सड़क के किनारे भंडारण को प्रतिबंधित किया जाएगा।

(iii) निर्माण सामग्री तथा अपशिष्ट ढोने वाले बिना ढके हुए किसी भी वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान स्थल का अभिनिर्धारण किया जाएगा और स्थल पर अपेक्षित धूल उपशमन उपाय अधिसूचित किए जाएंगे।

नोट : उपरोक्त क्रम संख्यांक 106 और 107 उन नगरों और शहरों के लिए लागू होंगे जहां धूलकण 10/ धूलकण 2.5 राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में निर्धारित सीमाओं से अधिक हो।"

[फा. सं. क्यू-16017/172/2017-सीपीए]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में का.आ. सं. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए थे, अर्थात् :-

का.आ. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; सा.का.नि. 176(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1996; सा.का.नि. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 739(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2010; सा.का.नि. 809(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2010; सा.का.नि. 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011; सा.का.नि. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011; सा.का.नि. 354(अ), तारीख 2 मई, 2011; सा.का.नि. 424(अ), तारीख 1 जून, 2011; सा.का.नि. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011; सा.का.नि. 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012; सा.का.नि. 266(अ), तारीख 30 मार्च, 2012; सा.का.नि. 277(अ), तारीख 31 मार्च, 2012; सा.का.नि. 820(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2012; सा.का.नि. 176(अ), तारीख 18 मार्च, 2013; सा.का.नि. 535(अ), तारीख 7 अगस्त, 2013; सा.का.नि. 771(अ), तारीख 11 दिसम्बर, 2013; सा.का.नि. 2(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014; सा.का.नि. 229(अ), तारीख 28 मार्च, 2014; सा.का.नि. 232(अ), तारीख 31 मार्च, 2014; सा.का.नि. 325(अ), तारीख 7 मई, 2014; सा.का.नि. 612(अ), तारीख 25 अगस्त, 2014; सा.का.नि. 789(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2014; का.आ. 3305(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2015; का.आ. 4(अ), तारीख 1 जनवरी, 2016; सा.का.नि. 35(अ), तारीख 14 जनवरी, 2016; सा.का.नि. 281(अ), तारीख 7 मार्च, 2016; सा.का.नि. 496(अ), तारीख 9 मई, 2016; सा.का.नि. 497(अ), तारीख 10 मई, 2016; सा.का.नि. 978(अ), तारीख 10 अक्तूबर, 2016; सा.का.नि. 1016(अ), तारीख 28 अक्तूबर, 2016 और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1265(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

G.S.R. 94(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: -

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, after serial number 105 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

"106. Mandatory Implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for projects requiring Environmental Clearance:

(i) No building or infrastructure project requiring Environmental Clearance shall be implemented without approved Environmental Management Plan inclusive of dust mitigation measures.

(ii) Roads leading to or at construction sites must be paved and blacktopped (i.e. metallic roads).

(iii) No excavation of soil shall be carried out without adequate dust mitigation measures in place.

(iv) No loose soil or sand or Construction & Demolition Waste or any other construction material that causes dust shall be left uncovered.

(v) Wind-breaker of appropriate height i.e. 1/3rd of the building height and maximum up to 10 meters shall be provided.

(vi) Water sprinkling system shall be put in place.

(vii) Dust mitigation measures shall be displayed prominently at the construction site for easy public viewing.

107. Mandatory Implementation of Dust Mitigation Measures for all Construction and Demolition Activities:

(i) Grinding and cutting of building materials in open area shall be prohibited.

(ii) Construction material and waste should be stored only within earmarked area and road side storage of construction material and waste shall be prohibited.

(iii) No uncovered vehicles carrying construction material and waste shall be permitted.

(iv) Construction and Demolition Waste processing and disposal site shall be identified and required dust mitigation measures be notified at the site.

Note : The serial numbers 106 and 107 above shall apply to cities and towns where value of particulate matter 10/ particulate matter 2.5 exceeds the prescribed limits in National Ambient Air Quality Standards."

[F. No. Q-16017/172/2017-CPA]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely:—

S.O. 433(E), dated the 18th April, 1987; G.S.R. 176(E), dated the 2nd April, 1996; G.S.R. 97 (E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149(E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 739(E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated the 4th October, 2010: G.S.R. 215(E), dated the15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011;G.S.R. 354(E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424(E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446(E), dated the 13thJune, 2011; G.S.R. 152(E), dated the 16thMarch, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; G.S.R. 277 (E), dated the 31st March, 2012;G.S.R. 820 (E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176(E), dated the 18thMarch, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7thAugust, 2013; G.S.R. 771(E), dated the 11th December, 2013; G.S.R. 2 (E), dated the 2nd January, 2014; G.S.R. 229 (E), dated the 28th March, 2014; G.S.R. 232 (E), dated the 31st March, 2014; G.S.R. 325 (E), dated the 7th May, 2014; G.S.R. 612(E), dated the 25th August, 2014; G.S.R. 789 (E), dated the 11th November, 2014;S.O. 3305 (E), dated the 7th December, 2015; S.O. 4(E), dated the 1st January, 2016; G.S.R. 35(E), dated the 14th January, 2016 G.S.R. 281(E), dated the 7th March, 2016; G.S.R. 496(E), dated the 9th May, 2016, G.S.R. 497(E), dated the 10th May, 2016; G.S.R. 978(E), dated the 10th October, 2016, G.S.R. 1016(E), dated the 28th October, 2016 and lastly amended *vide* notification GSR 1265(E) dated the 13th October, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.01.27 12:00:03 +05'30'